पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–11 / 2019 सो०323

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

पटना, दिनांक–11/02/2021

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानेदय में वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में।**

प्रसंगः– **समाहरणालय, जमुई का पत्रांक–23 / स्था०, दिनांक–15.01.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानेदय में वार्षिक वेतन वृद्धि के मार्गदर्शन के संबंध में प्राप्त हुआ है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परषिद की 24वीं बैठक के कार्यावली बिंदु–03 में निर्णित है कि ''मानदेय निर्धारण में अन्य भत्ता मूल मानदेय का 66 प्रतिशत है। यह प्रथम बार प्रत्येक वर्ग के मानदेय के विरूद्ध अन्य भत्ता के निर्धारण हेतु है, अतएव यह स्थिर (Constant) है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष मानदेय में ही 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देय होगी, अन्य भत्ता पर यह देय नहीं होगी।'' निर्णय में मूल मानदेय एवं मानदेय के अंतर को स्पष्ट किया गया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष के मानदेय पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जाती है, अन्य भत्ता, विशेष भत्ता एवं हार्डवेयर भत्ता पर यह देय नहीं है।

विश्वासभाजन

10.2.21

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :– **बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–11 / 2019 सो०**323**, दिनांक**11/02/2021

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.2.21

विशेष कार्य पदाधिकारी

3D:\PREM Office\AO-2.docx